

72

निगरानी प्रकरण क्र० 12086

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

निज-383-PBR-16

- १- श्रीमती गंधाबाई पति घासीरामजी साती
  - २- सुरेश पिता घासीरामजी साती
  - ३- दिनेश पिता घासीरामजी साती
  - ४- कमल पिता घासीरामजी साती
  - श्यामूबाई पिता घासीरामजी साती
- सभी का निवास ग्राम कदवाली बुर्जा,  
तहसील सावैर, जिला इन्दौर

-- प्रार्थिगण/मूल  
अनावेदकगण

वि रू द

केशरसिंह पिता गंगारामजी साती  
निवासी ग्राम कदवाली बुर्जा, तहसील सावैर  
जिला इन्दौर

-- प्रतिप्रार्थी/  
मूल आवेदक

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण : बंटवारे बाबद

निगरानी आवेदनपत्र धारा ५० मध्यप्रदेश मुराजस्व संहिता के अन्तर्गत

श्री पाण्डे, नायब तहसीलदार, तहसील सावैर, टप्पा  
दिवादा वदारा राजस्व प्रकरण क्रमांक २२ब-२७/२०१४-१५ में की  
गई कार्यवाही/प्रोसीडिंग आदेश दिनांक २७/११/२०१५  
स्वम् दुस्ति होकर प्रार्थिगण यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा  
अन्य आधारों पर, नियत अवधि में (प्रमाणित प्रति प्राप्त होने में  
लगा समय मुजरा देते) निम्नानुसार सावर प्रस्तुत है -

*(Signature)*

दिनांक 25-1-16  
को श्री के.डी. बुर्जा  
सावैर तहसील  
इन्दौर जिला



दिनांक 25-1-16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 383-पीबीआर/16

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री सुनील चौधरी, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अनावेदक सूचित हो ।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>